उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज

दीपावली शिल्प मेला दिनांक 9 से 22 अक्टूबर , 2022 एवं राष्ट्रीय शिल्प मेला 01 से 12 दिसम्बर 2022 के लिए नियम एवं शर्ते

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा दिनांक 9 से 22 अक्टूबर, 2022 तक दीपावली शिल्प मेला एवं दिनांक 01 से 12 दिसम्बर 2022 तक आयोजित राष्ट्रीय शिल्प मेले में स्टालों का आवंटन निम्न नियम एवं शर्तो के अधीन होगा :–

1. जिन शिल्प/व्यंजन के लिये स्टालों की नियत संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उन स्टालों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। जिसकी सूचना बेवसाइट के द्वारा जारी की जायेगी।
2. जिन आवेदकों को स्टाल का आवंटन नहीं हो सकेगा, उन्हें उनके द्वारा जमा किया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
3. शिल्प के स्टाल के लिए जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसको शिल्पकार होने का प्रमाण पत्र बुनकर कार्ड/(D.C.H.) द्वारा निर्गत पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति आदि प्रस्तुत करना होगा, शिल्पकारों से अपेक्षित होगा कि यथासम्भव बिक्री के साथ–साथ दिन में कुछ समय शिल्प बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी करें।
4. व्यंजन के स्टाल के लिए एक आवेदक एक ही आवेदन कर सकता है। व्यंजन के स्टाल के लिए जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसे इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने के प्रमाण पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत/खाद्य प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी हागी। व्यंजन के स्टाल के आवेदकों को अपने व्यंजनों के दरों की सूची आवेदन के साथ प्रेषित करनी होगी तथा यह सूची स्टाल पर भी प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का सम्पूर्ण दायित्व व्यंजनकार का होगा और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी वाद/हानि का सम्पूर्ण दायित्व (वित्तीय एवं अन्य) विक्रेता को वहन करना होगा। राज्य विशेष के लिये उस राज्य के आवेदक को स्थानीय आवेदक से वरीयता दी जायेगी।
5. केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगें तथा मुख्य शिल्पकार को स्टाल पर रहना अनिवार्य होगा। **मुख्य शिल्पकार के न रहने पर स्टाल बन्द करा दिया जायेगा।**
6. व्यंजन के स्टाल पर मुख्य व्यंजनकार के अतिरिक्त अधिकतम तीन सहायकों को रहने की अनुमति होगी। साथ ही मुख्य शिल्पकार के साथ एक सहायक के रहने की अनुमति होगी।
7. स्टाल खुलने की अवधि प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगी। रात्रि 10.00 बजे के बाद से प्रातः 5.00 बजे तक शिल्पहाट के बाहर आने–जाने की अनुमति नहीं होगी।
8. निर्धारित तिथि तक स्टाल हेतु पूर्ण धनराशि जमा न करने की दशा में स्टाल का आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. शिल्पकार/व्यंजनकार को अपने सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी और उन्हें आवंटित स्टाल के पीछे रहना होगा तथा शीतकाल को ध्यान में रखते हुए बिस्तर साथ लाना होगा। बिजली का हीटर/चूल्हा जलाना मना है। उक्त को जलाते हुए पाये जाने पर तत्काल आवंटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है।

10. शिल्पकार/व्यंजनकार को जिस शिल्प/व्यंजन के लिए स्टाल आवंटित किया जायेगा उसको उसी शिल्प/व्यंजन के विक्रय की अनुमति होगी।
11. शिल्पकार/व्यंजनकार अपने स्टालों को स्वच्छ रखेंगे तथा शिल्प/व्यंजन को समुचित ढंग से प्रदर्शित करेंगें।
12. सक्षम अधिकारी किसी भी समय पूर्ण मेला परिसर के किसी भी हिस्से का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. मेला परिसर में नशा करना अथवा नशीले पदार्थो का लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि किसी के पास इस प्रकार की सामग्री पायी जाती है तो उसके स्टाल का तत्काल आंवटन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवंटित किये जाते समय आवेदन करते समय सहायक का नाम व फोटो आधार कार्ड छायाप्रति संलग्न करना होगा जो शिल्प हाट परिसर में रहेगा।
14. मेला परिसर में केवल वही शिल्पकार व उनके सहायक रहेंगे जो अधिकृत होंगे। अन्य व्यक्तियों को रहने की अनुमति नहीं होगी।
15. आवेदन पत्र के साथ शिल्पकारों को आधारकार्ड की छाया प्रति के साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ शिल्प की फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. केन्द्र परिसर में पॉलीथिन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
17. जो शिल्पकार व्यंजनकार लगातार राष्ट्रीय शिल्प मेला में भाग लिये हों वे शिल्पकार वर्षवार विवरण संलग्न करें।
18. किसी विवाद की दशा में निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का निर्णय अन्तिम व सभी को मान्य होगा।

नोट – उपर्युक्त नियम/शर्तो का उल्लंघन करने पर स्टाल का आवंटन निरस्त करते हुए शिल्पकार/व्यंजनकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। बिना आधार कार्ड एवं आवेदन पत्र के आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। एक ही पता अलग–अलग नामों से पाये जाने पर भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदकों के बैंक ड्राफ्ट वापस नहीं किये जायेंगे।

मध्योत्तरी

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
राष्ट्रीय शिल्प मेला 01 से 12 दिसम्बर 2022 तक आयोजित

आवेदक की स्वप्रमाणित फोटो

1. शिल्पकार का नाम (हिन्दी) में :–..........
2. शिल्पकार का नाम (अंग्रेजी) में :–..........
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी) में :–..........
4. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी) में :–..........
5. शिल्पकार का पूरा पता :–:–..........

   ....पिन कोड :–..........

"बैंक ड्राफ्ट निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज के पक्ष में देय होगा"

6. बैंक का नाम :–..........बैक ड्राफ्ट संख्या :–..........

   बैंक खाता संख्या :–..........आई0एफ0सी0 कोड संख्या :–..........

6. हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या अति–आवश्यक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति/फोटो कापी अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा :–..........
7. हस्तशिल्प सम्मान/राष्ट्रीय पुरस्कार/विकास आयुक्त/भारत सरकार या अन्य:–..........
8. राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लेने का विवरण वर्षानुसार विवरण:–..........
9. हस्तशिल्प विधा से सम्बन्धित शिल्प का नाम :–..........
10. आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) :–..........
11. दूरभाष, मोबाइल नं0/ई–मेल ....
12. आवेदक की श्रेणी – सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग

नोट – शिल्प निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण/शिल्प से सम्बन्धित फोटोग्राफ स्पष्ट अक्षरों में लिखे।

संलग्नक – नियम।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:–..........

पता:–..........

मोबाइल नम्बर..........

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 14 अक्टूबर 2022, सांयकाल 6.00 बजे तक, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन फार्म स्वीकार नही किया जायेगा।
आवंटित किये गये आवेदनकर्ता सहायक का नाम व फोटो के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

मध्योत्तरी

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

दीपावली शिल्प मेला दिनांक 9 से 22 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित

आवेदक की स्वप्रमाणित फोटो

8. शिल्पकार का नाम (हिन्दी) में :–..

9. शिल्पकार का नाम (अंग्रेजी) में :–..

10. पिता/पति का नाम (हिन्दी) में :–..

11. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी) में :–..

12. शिल्पकार का पूरा पता :–:–..

....पिन कोड :–..

"बैंक ड्राफ्ट निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्रयागराज के पक्ष में देय होगा"

6. बैंक का नाम :–..बैंक ड्राफ्ट संख्या :–..

बैंक खाता संख्या :–..आई0एफ0सी0 कोड संख्या :–..

13. हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या अति–आवश्यक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति/फोटो कापी अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा :–..

14. हस्तशिल्प सम्मान/राष्ट्रीय पुरस्कार/विकास आयुक्त/भारत सरकार या अन्यः–..

13. राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लेने का विवरण वर्षानुसार विवरणः–..

14. हस्तशिल्प विधा से सम्बन्धित शिल्प का नाम :–..

15. आधार नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) :–..

16. दूरभाष, मोबाइल नं0/ई–मेल ....

17. आवेदक की श्रेणी – सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग

नोट – शिल्प निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण/शिल्प से सम्बन्धित फोटोग्राफ स्पष्ट अक्षरों में लिखे।

संलग्नक – नियम।

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः–..

पताः–..

मोबाइल नम्बर..

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 5 सितम्बर 2022, सांयकाल 6.00 बजे तक, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन फार्म स्वीकार नही किया जायेगा।
आवंटित किये गये आवेदनकर्ता सहायक का नाम व फोटो के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।